

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1989
उत्तर देने की तारीख : 11.12.2025

सीजीटीएमएसई के अंतर्गत ऋण

1989. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला :

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विगत दो वर्षों के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों में कमी आई है;
- (ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ग) राजस्थान का और विशेषकर झुंझुनू लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित विगत दो वर्षों के दौरान सीजीटीएमएसई के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों, निपटाए गए दावों और वितरित ऋण का वर्ष-वार और जिले-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकारी विभाग और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) एमएसएमई को भुगतान करने में विलंब कर रहे हैं, जिससे कार्यशील पूंजी का संकट उत्पन्न हो रहा है; और
- (ङ) यदि हाँ, तो वर्तमान वर्ष के लिए कुल बकाया राशि कितनी है और राजस्थान राज्य में इसे निपटाने के लिए जिलेवार क्या समय-सीमा नियत की गई है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) ने विगत तेईस वर्षों में 4.26 लाख करोड़ रुपए की तुलना में, पिछले दो वर्षों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए, 5.08 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटियों का अनुमोदन किया है, जो यह दर्शाता है कि पिछले दो वर्षों में एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) के तहत ऋण स्वीकृतियों में काफी उछाल आया है।

(ग) : विगत दो वर्षों में सीजीएस के तहत अनुमोदित क्रेडिट गारंटियों और निपटान किए गए दावों का, राजस्थान राज्य में, झुंझुनू लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों को शामिल करते हुए, जिला-वार, ब्यौरा अनुबंध-1 पर संलग्न है।

(घ) : देश भर में एमएसई के लिए भुगतान का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसई के बकायों की निगरानी के लिए दिनांक 30.10.2017 को समाधान पोर्टल की शुरुआत की। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अधीन, एमएसई को विलंबित भुगतानों के मामलों का निपटान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों (एमएसईएफसी) की स्थापना की गई है, अभी तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 161 एमएसईएफसी स्थापित किए गए हैं। एमएसएमई मंत्रालय ने विलंबित भुगतान के मामलों के संबंध में संपूर्ण डिजिटल समाधान प्रदान करने के लिए दिनांक 27.06.2025 को ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टल आरंभ किया है।

(ङ) : एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अनुसार, जब कोई आपूर्तिकर्ता उत्पाद या सेवाएं प्रदान करता है, तो खरीदार को आपसी सहमति से लिखित तिथि पर, या यदि ऐसा कोई समझौता नहीं है, तब नियुक्त दिन पर, भुगतान करना अनिवार्य है। तथापि, वस्तुओं की स्वीकृति या स्वीकृत माने गए दिन से किसी भी सहमत भुगतान की अवधि 45 दिनों से अधिक नहीं होगी। राजस्थान राज्य में, चालू वर्ष के लिए एमएसई को कुल बकायों का, जिला-वार, विवरण अनुबंध-11 पर संलग्न है।

“सीजीटीएमएसई के अंतर्गत ऋण” पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1989, जिसका उत्तर दिनांक 11.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

सीजीएस-अनुमोदित गारंटियाँ-राजस्थान-जिला-वार					
क्र. सं.	जिला	वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25	
		अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित गारंटियों की राशि (करोड़ रुपए में)	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित गारंटियों की राशि (करोड़ रुपए में)
1	अजमेर	8,445	923	9,616	856
2	अलवर	4,602	517	6,836	797
3	बांसवाड़ा	700	46	942	61
4	बारण	598	58	986	82
5	बाड़मेर	1,535	193	2,006	256
6	भरतपुर	2,515	190	3,430	245
7	भीलवाड़ा	3,036	373	3,413	462
8	बीकानेर	3,259	375	3,858	442
9	बूंदी	1,011	72	1,554	113
10	चित्तौड़गढ़	1,795	162	2,314	222
11	चुरू	2,539	197	1,904	184
12	दौसा	1,225	87	2,288	128
13	धौलपुर	1,398	83	2,427	95
14	डूंगरपुर	724	39	961	55
15	गंगानगर	2,948	200	3,122	285
16	हनुमानगढ़	1,665	184	2,146	182
17	जयपुर	18,482	2,781	31,240	5,627
18	जैसलमेर	642	43	875	56
19	जालौर	637	62	853	75
20	झालावाड़	746	71	1,394	108
21	झुंझुनू	2,550	173	2,928	177
22	जोधपुर	6,556	770	7,534	1,093
23	करौली	873	48	965	58
24	कोटा	3,537	285	4,392	411
25	नागौर	1,774	191	3,174	250
26	पाली	1,436	199	2,110	214
27	प्रतापगढ़	412	21	475	25
28	राजसमंद	779	93	1,395	132
29	सवाई माधोपुर	1,425	78	1,600	93
30	सीकर	2,478	173	4,867	297
31	सिरोही	621	47	1,238	81
32	टोंक	1,438	102	2,329	114
33	उदयपुर	3,467	345	5,252	589
	कुल	85,848	9,180	1,20,424	13,865

सीजीएस-निपटान किए गए दावे-राजस्थान-जिला-वार

[राशि करोड़ रुपए में]

क्र.सं.	जिला	वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25	
		निपटान किए गए दावे	निपटान की गई राशि	निपटान किए गए दावे	निपटान की गई राशि
1	अजमेर	629	11.06	812	19.63
2	अलवर	288	4.57	401	5.57
3	बांसवाड़ा	114	0.65	130	0.85
4	बारण	60	1.25	125	0.43
5	बाड़मेर	65	0.69	140	1.62
6	भरतपुर	123	1.72	94	1.48
7	भीलवाड़ा	201	4.17	250	6.20
8	बीकानेर	243	2.94	537	5.05
9	बूंदी	103	0.57	104	0.93
10	चित्तौड़गढ़	146	1.43	372	3.24
11	चुरू	130	0.93	251	1.41
12	दौसा	128	1.83	166	1.80
13	धौलपुर	49	0.31	23	0.35
14	डूंगरपुर	59	0.57	61	0.43
15	गंगानगर	247	2.16	378	2.65
16	हनुमानगढ़	139	0.94	251	1.72
17	जयपुर	881	26.15	2207	31.84
18	जैसलमेर	39	0.49	46	0.43
19	जालौर	46	0.58	62	0.65
20	झालावाड़	71	0.54	81	0.58
21	झुंझुनू	74	0.53	184	1.20
22	जोधपुर	262	5.63	450	8.92
23	करौली	54	0.59	80	0.79
24	कोटा	225	3.56	523	4.74
25	नागौर	124	1.48	218	1.98
26	पाली	113	1.23	192	1.81
27	प्रतापगढ़	53	0.74	43	0.41
28	राजसमंद	106	1.57	137	2.23
29	सवाई माधोपुर	166	1.80	126	0.97
30	सीकर	182	1.81	243	1.45
31	सिरोही	60	0.73	106	0.78
32	टोंक	73	1.01	95	0.99
33	उदयपुर	224	5.43	348	4.43
	कुल	5,477	89.65	9,236	117.57

“सीजीटीएमएसई के अंतर्गत ऋण” पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1989, जिसका उत्तर दिनांक 11.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (ड) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

एमएसई को बकाया		
क्र. सं.	जिला	देय राशि (करोड़ रुपए में)
1	जयपुर	69.98
2	अलवर	12.86
3	जोधपुर	15.32
4	उदयपुर	10.44
5	अजमेर	5.14
6	बीकानेर	12.85
7	पाली	1.19
8	कोटा	33.3
9	वाड़मेर	2.43
10	नागौर	9.03
11	भीलवाड़ा	0.79
12	हनुमानगढ़	1.03
13	झुंझुनू	1.07
14	राजसमंद	0.76
15	जयपुर ग्रामीण	1.22
16	चित्तौड़गढ़	0.44
17	गंगानगर	0.05
18	चुरू	0.04
19	दौसा	0.2
20	ब्यावर	0.1
21	भरतपुर	0.34
22	सवाई माधोपुर	2.24
23	सीकर	1.2
24	सिरोही	0.23
25	वालोतरा	0.06
26	बांसवाड़ा	0.07
27	जालौर	0.12
28	जोधपुर ग्रामीण	0.03
29	टोंक	0.07
30	खैरथल-तिजारा	0.48
31	करौली	0.01
32	कोटपूतली-बहरोड़	0.03
33	वारण	0.09
34	धौलपुर	0
35	डीडवाना कुचामन	0.07
36	डूँड	0
37	डूंगरपुर	0
38	डीग	0
39	अनूपगढ़	0
40	केकड़ी	0
41	झालावाड़	0
42	जैसलमेर	0
43	गंगापुरसिटी	0
44	बूंदी	0
45	शाहपुरा	0
46	सदुंबर	0
47	सांचौर	0
48	नीम का थाना	0
49	फलौदी	0
50	प्रतापगढ़	0
	कुल	183.28